

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2468]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2014/अग्रहायण 4, 1936

No. 2468]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2014/AGRAHAYANA 4, 1936

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

का.आ.3062(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

- श्री प्रेम कुमार आई ए एस (सेवानिवृत्त) —अध्यक्ष सी/ओ प्रदीप सी. शर्मा, एडवोकेट, जुडिशियल कोर्ट काम्पलेक्स, मनाली, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश
- प्रोफंसर रजनीश श्रीवास्तव, —सदस्य निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर,

हिमाचल प्रदेश - 177005

3. निदेशक —-सदस्य-सचिव

(पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार

- 2. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेंगे ।
- 3. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो ।
- 4. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश उसके विनिश्चय हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन

4788 GI/2014 (1)

समिति (रा.वि.मू.स.) की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश को सहायता करने के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात रा.वि.मू.स.हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :--

1.	श्री शैलेन्द्र निगम	—अध्यक्ष
	सी-5, सैक्टर-40, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	
2.	श्री राजकुमार सूद,	—सदस्य
	सी-6, केंद्रीय विहार, सैक्टर 48-बी, चंडीगढ़-160047	
3.	डॉ. आर. सी. चौहान	—सदस्य
	आचार्य (पर्यावरण विज्ञान), जीव विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, कालेज ऑफ बेसिक साइंस, एच. पी. कृषि विश्वविद्यालय, पालनपुर 176062	
4.	डॉ. भूपिंदर एस.,मारह	—सदस्य
	आचार्य भूगोल, भूगोल विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	
	सुमेर हिल, शिमला 17100	
5.	श्री एस. पी. नेगी	—सदस्य
	विद्या भवन, नरसिंह मोहल्ला, रामपुर	
	भुशाहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश	
6.	श्री अरुण कुमार शर्मा	—सदस्य
	राज्य भू विज्ञानी (सेवानिवृत्त)	
	फ्लैट # एच 10, देव भूमि, ग्रीन वैली अपार्टमेंटस, देयान घाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	
7.	प्रो.(डा.) दलीप सिंह ठाकुर (सेवानिवृत्त)	—सदस्य
	बिमला भवन, कनलोग, शिमला, हिमाचल प्रदेश 171001	
8.	श्री ए एन गौतम, नगर योजनाकार, (सेवानिवृत्त)	—सदस्य
	ग्राम कियारा, पोस्ट आफिस चांदपुर, तहसील और जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	
9.	श्री रवींद्र कुमार सूद	—सदस्य
	आचार्य एवं परामर्शी आपदा प्रबंधन केंद्र	
	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान, शिमला , हिमाचल प्रदेश ।	
10.	सतीश कुमार भारद्वाज, आचार्य और प्रधान	—सदस्य
	पर्यावरण विज्ञान विभाग, वन विज्ञान महाविद्यालय	
	डा. वाई एस परमार, उद्यानकृषि और वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नौनी-1732300 जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	
11.	ज्येष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर,	—सचिव
	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	

[भाग II-खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

- 6. रा.वि.मू.स. हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।
- 7. रा.वि.मू.स. हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।
- 8. रा.वि.म्.स. हिमाचल प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।
- 9. हिमाचल प्रदेश सरकार प्राधिकरण के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को अभिकरण के रूप में अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत सभी वित्तीय तथा संभार तंत्र सहायता जिसके अंतर्गत वास सुविधा, परिवहन और अन्य सुविधाएं भी हैं, प्रदान करेगी।
- 10. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य की आसीन फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता का संदाय हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

[ सं. जे-11013/15/2007-आई.ए.II(I)]

Chairman

मनोज कुमार सिंह संयुक्त सचिव,

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2014

**S.O. 3062(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Himachal Pradesh) comprising of the following Members, namely:—

1.	C/o. Pradeep C. Sharma, Advocate,	Chamhan
	Judicial Court Complex, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.	
2.	Professor Rajnish Shrivastava	—Member
	Director, National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh - 177005	

Shri Prem Kumar IAS (Retired)

3. Director (Environment, Science and Technology), —Member-Secretary Government of Himachal Pradesh

- 2. The Chairman and Members of the Authority, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 3. The Authority, Himachal Pradesh shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said Gazette notification.
- 4. The Authority, Himachal Pradesh shall base its decision on the recommendations of the State level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Himachal Pradesh.

5. For the purpose of assisting the Authority, Himachal Pradesh, the Central Government, in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, hereby constitutes the State level Expert Appraisal Committee, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as SEAC, Himachal Pradesh) comprising of the following Members, namely:—

1. Shri Shailendra Nigam —Chairman C-5 sector -40 Noida, Uttar Pradesh-201301. 2. Shri Raj Kumar Sood -Member C-6, Kendriya Vihar, Sector 48-B, Chandigarh – 160047. 3. Dr. R.C. Chauhan, -Member Professor (Environmental Science), Department of Biology and Environmental Sciences, College of Basic Science H.P Agriculture University, Palanpur-176062. 4. Dr. Bhupinder S. Marh -Member Professor of Geography, Department of Geography, Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-171005. 5. Shri S P Negi, -Member Vidya Bhawan, Narsingh Mohalla, Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh. Shri Arun Kumar Sharma, 6. -Member State Geologist (Retired.) Flat # H 10 Dev Bhumi, Green Valley Apartments, Deon Ghat, District, Solan, Himachal Pradesh. 7. Prof. (Dr.) Dalip Singh Thakur (Retd.), -Member Bimla Bhawan, Kanlog, Shimla, Himachal Pradesh-171001. 8. Shri A. N. Gautam, -Member Town Planner (Retired), Village Kiyara, Post Office Chandpur, Tehsil and District Bilaspur, Himachal Pradesh. 9. Sh. Ravinder Kumar Sood, -Member Professor and Consultant, Disaster Management Centre, Himachal Institute of Public Administration, Shimla, Himachal Pradesh. Dr. Satish Kumar Bhardwaj, -Member Professor and Head, Department of Environmental Science, College of Forestry, Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni-173230, District Solan, Himachal Pradesh.

6. The Chairman and Members of SEAC, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

-Secretary

Senior Environmental Engineer, Himachal Pradesh

State Pollution Control Board.

7. The SEAC, Himachal Pradesh shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said Gazette notification.

- 8. The SEAC, Himachal Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
- 9. The State Government of Himachal Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.
- 10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Himachal Pradesh and the Chairman and Members of SEAC, Himachal Pradesh shall be paid in accordance with the concerned rules of the State Government of Himachal Pradesh.

[No. J-11013/15/2007-IA.II(I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.